



2026:AHC:17141

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45444 सन् 2025

शिव भवन सिंह

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अर्जुन सिंह यादव, बाबू लाल राम

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लम्बित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 / उपखण्ड मजिस्ट्रेट (न्यायिक), सदर फतेहपुर को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अन्तर्गत वाद संख्या टी20250225102613 (शिव भवन सिंह बनाम मुन्ना लाल एवं अन्य) को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह विषय प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लम्बे समय से लम्बित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, फिर भी आज तक विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 / उपखण्ड मजिस्ट्रेट (न्यायिक), सदर फतेहपुर उक्त वाद को विधि के अनुसार शीघ्रता से, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निर्णीत करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।